कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट जिला–भोपाल

क्रमांक / 25078 / अजिद / 2024 /

भोपाल, दिनांक 31/12/2024

:: आ दे श ::

(अंतर्गत धारा–144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

भोपाल जिले में शासकीय, अशासकीय विद्यालय संचालित है, इनमें अशासकीय स्कूलों / शैक्षणिक संस्थाओं में काफी बड़ी संख्या में विधार्थी अध्ययनरत है। विभिन्न सूत्रों से जानकारी प्राप्त होती हैं, कि शिक्षण सत्र प्रारंभ होने पर कई अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबंधन द्वारा शाला में पढ़ने वाले विधार्थियो को उनके द्वारा बताई गई विशेष दुकान से ही पाठ्य–पुस्तकें, यूनिफार्म तथा अन्य सामग्री क्रय करने के लिये बाध्य किया जाता है तथा कई स्कूलों में स्वयं स्कूल प्रबंधन द्वारा पुस्तकें एवं यूनिफार्म तथा अन्य सामग्री विक्रय कराई जानें के संबंध में भी जानकारी प्राप्त होती हैं।

मैं संतुष्ट हूँ कि इस तरह की गतिविधियों के कारण इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों एवं उनके अभिभावकों में रोष होने के फलस्वरूप अप्रिय स्थिति एवं तनाव हो सकता है, जिससे कभी भी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः भोपाल जिले के समस्त अशासकीय विद्यालयों / शैक्षणिक संस्थाओं में पुस्तके एवं यूनीफार्म तथा अन्य सामग्री विक्रय कराई जाने तथा किसी विशेष दुकान से पाठ्य पुस्तके, यूनीफार्म तथा अन्य सामग्री क्रय करने हेतु बाध्य करने पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती हैं।

अतः मैं **कौशलेन्द्र विक्रम सिंह**, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जन सामान्य के हित में समस्त अशासकीय विद्यालयों में पुस्तकें एवं यूनीफार्म तथा अन्य सामग्री विक्रय कराई जाने पर अंकुश लगाये जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ :–

1– भोपाल जिले में संचालित समस्त अशासकीय विद्यालय, जो माध्यमिक शिक्षा मण्डल / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा आई.सी.एस.ई. बोर्ड से सम्बद्ध हैं । इन समस्त विद्यालयों को मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 02 दिसम्बर 2020 स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल में उल्लेखित निर्देशो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा । सभी अशासकीय विद्यालयों के लिये यह अनिवार्य है कि वे आगामी शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के पूर्व लेखक एवं प्रकाशक के नाम तथा मूल्य के साथ कक्षावार पुस्तको की सूची विद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करें और शाला के विद्यार्थियों को ऐसी सूची मांगने पर उपलब्ध कराई जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकगण इन पुस्तकों को उनकी सुविधा अनुसार खुले बाजार से क्रय कर सके। प्रत्येक स्कूल प्रबंधक / प्राचार्य अपने स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगने वाली

Scanned with OKEN Scanner

पाठ्य पुस्तकों तथा प्रकाशक की जानकारी को वेबसाइट E-Mail ID deobho-mp@nic.in पर दिनांक 15.01.2025 तक अनिवार्यतः प्रेषित करेंगें एवं एक हार्डकापी जिला शिक्षा अधिकारी जिला भोपाल के कार्यालय में जमा करायेगें।

2– किसी भी प्रकार की शिक्षण सामग्री पर विद्यालय का नाम अंकित नही होना चाहिये। विद्यालय के सूचना पटल पर यह भी अंकित किया जावे कि किसी दुकान विशेष से सामग्री क्रय करने की बाध्यता नही है। कही से भी पुस्तकें/यूनिफार्म व अन्य आवश्यक सामग्री क्रय की जा सकती है।

3– पुस्तकों के अतिरिक्त शालाओं द्वारा यूनीफार्म, टाई, जूते, काापियॉ आदि भी उन्ही की शालाओं से उपलब्ध/विक्रय कराने का प्रयास नही किया जावेगा। विद्यालय के गणवेश में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह आगामी तीन शैक्षणिक सत्रों तक यथावत लागू रहेगा । विद्यालय की स्टेशनरी/यूनिफार्म पर विद्यालय का नाम प्रिन्ट करवाकर दुकानों से क्रय करने अथवा एक विशिष्ट दुकान से यूनिफार्म/पाठ्यपुस्तके बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

4– विद्यालय द्वारा उनके यहां संचालित कक्षाओं में पढाई जाने वाली पुस्तकें, बिना पाठ्यक्रम परिवर्तन हुये विगत वर्ष की प्रचलित पुस्तकों एवं प्रकाशकों को परिवर्तित कर प्रतिवर्ष उनके स्थान पर मंहगी पुस्तकें खरीदने के लिए पालकों पर दबाव बनाया जाता है।

5– निजी विद्यालय प्रबंधन, परिवहन सुविधाओं के संबंध में परिवहन विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करेगा ।

6– प्रत्येंक विद्यालय में कक्षाओं में प्रवेश की प्रकिया एवं प्रवेश किस दिनांक से दिनांक तक होगें की सूचना का प्रचार प्रसार करना अनविार्य होगा। जिससे पालकों एवं प्रवेश कराने वाले पालकों तक सूचना प्राप्त हो सकें ।

7– संबंधित क्षेत्र के एस0डी0एम, एवं जिला शिक्षा अधिकारी इस आदेश का पालन सुनिश्चित करायेंगें ।

यह आदेश आम जनता को संबोधित है चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नही है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति/ प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान को दी जावें। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्त सें छूट दी जा सकेगी ।

Scanned with OKEN Scanner

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/विद्यालय के प्राचार्य/प्रबंधक के विरूद्व भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश दिनांक 31/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया हैं।

(कौशलेन्द्र विक्रम सिंह)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला भोपाल

पृ. क्रमांक/25079/अजिद/2024/ भोपाल, दिनांक 31-12-2024

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र.भोपाल।
4. पुलिस आयुक्त, भोपाल।
5. आयुक्त, नगर निगम भोपाल।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल।
7. पुलिस अधीक्षक देहात जिला भोपाल।
8. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी समस्त जिला भोपाल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त भोपाल।
9. सयुक्त संचालक, लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल।
10. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, जिला भोपाल की ओर प्रकाशनार्थ।
11. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी /जिला शिक्षा अधिकारी जिला भोपाल।
12. सर्व संबंधित अशासकीय शैक्षणिक संस्था की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

जिला दण्डाधिकारी
जिला भोपाल

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला–भोपाल

तुलसी नगर सेकेण्ड स्टाप भोपाल

पृ.क्रमांक/मान्यता/पाठ्य पस्तक/गणवेष/2024/3 भोपाल,दिनांक 1/1/25

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. आयुक्त, लोक शिक्षण मध्य प्रदेश ।
1. कलेक्टर, जिला भोपाल ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल ।
3. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण भोपाल संभाग, भोपाल ।
4. समस्त संकुल प्राचार्य, शास.उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि आपके संकुल अन्तर्गत समस्त अशासकीय विद्यालयों/सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. विद्यालयों को उपरोक्त पत्र तामील कराते हुए दिये गये निर्देशों का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें ।
5. अध्यक्ष, सहोदय ग्रुप भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
6. समस्त अशासकीय/सी.बी.एस.ई./ आई.सी.एस.ई. विद्यालयों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला भोपाल

Scanned with OKEN Scanner